

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 2213] No. 2213] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 9, 2016/भाद्र 18, 1938

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 9, 2016/BHADRA 18, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2016

का.आ. 2912(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 9 सितम्बर, 2016 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 227, धारा 242 की उपधारा (1) का खंड (ख), धारा 242 की उपधारा (2) का खंड (ग) और खंड (छ), धारा 246 और धारा 337 से धारा 341(जहां तक वे धारा 246 को लागू होती हैं), के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. ए-45011/14/2016-प्रशा.IV]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2016

S.O. 2912 (**E**).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints 9th September, 2016 as the date on which the provisions of section 227, clause (b) of sub-section (1) of section 242, clauses (c) and (g) of sub-section (2) of section 242, section 246 and sections 337 to 341 (to the extent of their applicability for section 246), of the said Act shall come into force.

[F. No. A-45011/14/2016-Ad-IV]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

4381 GI/2016